# न्यायालय : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)
## पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/2021

अपीलाण्ट

01– मदनुपरी पुत्र रघुनाथपुरीजी, आयु 70 वर्ष,
02– राजेन्द्र पुरी पुत्र स्वर्गीय दरियाव पुरीजी, आयु 55 वर्ष,
03– जगदीश पुरी पुत्र स्वर्गीय दरियाव पुरीजी, आयु 50 वर्ष,
04– भूपेन्द्र पुरी पुत्र भंवरपुरीजी, आयु 42 वर्ष,
05– जितेन्द्र पुरी पुत्र सज्जनपुरीजी, आयु 45 वर्ष,
06– रंजीत पुरी पुत्र सज्जनपुरीजी, आयु 45 वर्ष,
सर्वजातियान गोस्वामी (गुसाई), निवासी शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
02– अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**अपील अंतर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955**
**बविरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर शिगवंज आदेश दिनांक 12.07.2021**
**राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 22/2021 मदनपुरी बनाम सरकार**

उपस्थिति :–

01– श्री राजेन्द्र पुरी एवं श्री राजेश मेघवाल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
02– श्री अश्विन मरडिया एवं पेरोकार सरकार श्री महेश शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से।
03– श्री दिनेश सुराणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 02 की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक : 11/10/2021

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् सहायक कलेक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 22/2021 बअनवान मदनपुरी बनाम राज. सरकार में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिए नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with CamScanner

अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ इस आशय का पेश किया कि अपीलाण्टगण के खातेदारी पुश्तैनी कृषि आराजी मौजा ग्राम बडगांव, तहसील शिवगंज में आई हुई हैं और उक्त आराजी के मूल खसरा नं. 31 एवं 33 है, जो कुल 45 बीघा है। अपीलाण्टगण की उक्त कृषि आराजी पुश्तैनी कृषि आराजी हैं एवं तत्पश्चात् अपीलाण्टगण के बीच उक्त कृषि आराजी का पारिवारिक विभाजन किया गया, जिससे अपीलाण्ट सं. 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा एवं अपीलाण्ट सं. 4 का 1/3 हिस्सा एवं अपीलाण्ट सं. 5 व 6 का 1/3 हिस्सा बंटवाड अनुसार अपीलाण्टगण के हक हिस्से के अनुरूप राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया गया एवं अमल दरामद करने के बाद उक्त आराजी का विभाजन होने के बाद बट्टा नं. डाले गये, जो राजस्व जमाबंदी से स्पष्ट हैं एवं इसी प्रकार अपीलाण्टगण सं. 1 व 2 के मध्य आपसी विभाजन होने के पश्चात् बट्टा नं. राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुए एवं अपीलाण्ट सं. 5 व 6 के हिस्से में आई कृषि भूमि में से करीबन 07 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन की गई। उस अनुसार अपीलाण्टगण अपनी कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है एवं अपीलाण्टगण की कृषि भूमि के चारो दिशाओं में रोड बने हुए हैं एवं पूर्व दिशा में सी. सी. रोड बना हुआ है एवं पश्चिम दिशा की ओर गौरव पथ रोड डबल रोड बना हुआ हैं एवं बीच में डिवाईडर हैं एवं दक्षिण दिशा में अपीलाण्ट की कृषि आराजी खसरा सं. 33 में से डामर रोड पूर्व में राजस्व अधिकारियों द्वारा निकाला गया, जो शिवगंज से काम्बेश्वरजी जाता है एवं जो रोड निकाला गया है, वह करीब 3 बीघा भूमि हैं एवं खातेदारी भूमि में से निकाले गये रोड के बदले खातेदारों को कोई मुआवजा नही दिया गया हैं एवं न ही उक्त भूमि अवाप्त की गई हैं। उक्त कृषि आराजी की खसरा सं. 31 व 33 के बीच में एक पट्टी के रूप में खसरा सं. 32 में एक रास्ता गलत रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया जो गलत रास्ता दर्ज किया गया है, लेकिन खसरा सं. 32 कभी भी रास्ते का भाग नहीं रहा एवं न ही रास्ते का कोई अस्तित्व ही है एवं न ही रास्ते के रूप में उसका कभी उपयोग, उपभोग हुआ है एवं खसरा सं. 31 व 33 में उक्त भूमि पूर्ण रूप से समाहित हैं एवं अपीलाण्ट शांतिपूर्वक खेती करते आ रहे है, जिसकी जानकारी स्वयं राजस्व अधिकारियों को है। लेकिन राजस्व अधिकारियों एवं भू–प्रबंध के अधिकारियों द्वारा खसरा सं. 32 में से रास्ते के रूप में तिरछी लाईन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with CamScanner

से रास्ता जो तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दक्षिण दिशा में खातेदारी कृषि आराजी में से निकाले गये रास्ते के बदले उक्त भूमि अपीलाण्ट को दी जाकर समायोजित की गई हैं एवं पिछले 60–70 वर्षों से कभी भी रास्ते का भाग खसरा सं. 32 की भूमि नहीं रही हैं एवं न ही उसका कोई अस्तित्व ही रहा है।

दौराने बहस वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये फोटोगाफ्स एवं मोमीया नक्शा ट्रेस एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई मौका फर्द दिनांक 03.07.2021 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह उल्लेख किया कि मोमीया नक्शा ट्रेस में खसरा सं. 32 जो खातेदारी की कृषि आराजी, जिसके मूल खसरा सं. 31 व 33 के बीच में जो रास्ता पट्टीनुमा दर्शाया गया है, उक्त राजस्व नक्शे में आगे जाकर कहीं भी रास्ता नहीं निकलता हैं, बल्कि उक्त रास्ता बंद है एवं खसरा सं. 31 व 33 के लगते उत्तर दिशा में खसरा सं. 28 व 29 भी अपीलाण्टगण के खातेदारी की कृषि आराजी हैं और उक्त पट्टीनुमा रास्ता दर्शाया है, जो खसरा सं. 28 के लगते बंद हैं एवं उक्त सार्वजनिक रास्ता नहीं है एवं न ही कभी रास्ते का भाग रहा हैं। यदि यह रास्ता होता तो आगे जाकर किसी अन्य रास्ते में मिलता एवं मोमीया नक्शा ट्रेस में तीरनुमा खसरा सं. 32 का हिस्सा खसरा सं. 28 के लगते बताया हैं, जो मात्र एक कोने में बताया हैं, जो रास्ता नहीं है, बल्कि वह जीरो पोइंट हैं एवं मौका फर्द के अनुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा जो मौका फर्द तैयार की गई है, उस फर्द में दक्षिण दिशा की ओर से अपीलाण्टगण की खातेदारी में से डामरीकृत सडक निकाली हुई है, जो काम्बेश्वरजी की तरफ रोड जाता हैं एवं खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ रास्ते है, खसरा सं. 32 किस्म रास्ता हैं, वर्तमान में रास्ता चालू नहीं हैं एवं कई वर्षों से बंद हैं तथा रास्ते के कोई अलामाती मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन रेस्पोडेन्ट अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से बिना विधिक प्रकिया का पालन किये बगैर बिना किसी नोटिस एवं बिना सुनवाई का नोटिस दिये बगैर अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने के आशय से खसरा सं. 32 पर ग्रेवल रोड बनाने पर आमदा हैं, जो जबरदस्ती अपीलाण्टगण को बेदखल करने पर उतारू होने से अपीलाण्टगण द्वारा मातहत न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन मातहत न्यायालय ने बिना किसी आधार के व प्रकरण का गहनतापूर्वक अध्ययन नहीं कर केवल मात्र यह मानते हुए प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with CamScanner

खारिज किया हैं कि खसरा सं. 32 किस्म रास्ता की भूमि हैं, जो प्रतिबंद्धित भूमि की श्रेणी में है, जो राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के अनुसार रास्ते की भूमि होना बताते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज किया हैं कि अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन एवं अतुलनीय एवं अपूरक क्षति साबित होना नहीं पाया जाता है। ऐसा करके मातहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया हैं, जो विधि अनुरूप नहीं गलत आदेश पारित किया हैं। जिससे अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट के द्वारा बहस के दौरान यह निवेदन किया कि उक्त भूमि खसरा सं. 32 जो रास्ते की भूमि हैं एवं रास्ते की भूमि पर अतिकमण कर कब्जा करने का अपीलाण्ट को कोई अधिकार नहीं हैं एवं अपीलाण्ट बतौर अतिकमी हैं एवं मातहत न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया हैं, जो विधिपूर्ण हैं, इस कारण अपीलाण्ट की अपील खारिज करना फरमावें।

उभयपक्ष वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई एवं उस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का प्रश्न हैं, उसमें तीन बिन्दु प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन एवं अतुलनीय एवं अपूरक क्षति तय किया जाना आवश्यक हैं, लेकिन मातहत न्यायालय द्वारा इन तीनों बिन्दुओं को तय नहीं कर केवल मात्र एक लाईन लिखकर अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं साथ ही अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया गया, जबकि अपीलाण्ट की उक्त कृषि आराजी खसरा सं. 31 एवं 33 आई हुई है। उक्त भूमि के चारों तरफ रास्ते हैं एवं सरकार द्वारा लाखों रुपये खर्च कर गौरव पथ, डामर रोड, डबल रोड का निर्माण किया गया। यदि खसरा सं. 32 रास्ते का भाग होता तो अवश्य ही राज्य सरकार द्वारा रोड बनाया जाता, जबकि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई मौका फर्द दिनांक 03.07.2021 से यह स्पष्टतया प्रतीत होता हैं कि अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि आराजी खसरा सं. 33 में से डामरीकृत सडक शिवगंज से काम्बेश्वरजी रोड जा रही है एवं मोमीया नक्शा ट्रेस को देखने से स्पष्टतया जाहिर हैं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with CamScanner

कि नक्शे में जो खसरा सं. 32 एक पट्टी के रूप में दर्शाया है, जो दोनों साईड में उक्त रास्ता बंद है, जो आग्र जाकर कहीं पर भी नहीं मिलता है, जो रास्ता बंद है। अन्यथा रास्ते का मुंह खुला होता एवं उक्त कृषि आराजी के लगते खसरा सं. 28, जो स्वयं अपीलांट की भूमि हैं और तीरनुमा खसरा संख्या 32 में जो बताया है, जो केवल मात्र खसरा सं. 33 के कोने में लाईन टच हो रही हैं, जिससे यह प्रतीत होता हैं कि वह जीरों पोंईट है एवं मौका फर्द में बताया हैं कि खसरा सं. 32 जो कभी भी रास्ता का भाग नहीं रहा हैं एवं न ही रास्ते के कोई अलामाती है एवं फोटोग्राफस से भी स्पष्टतया प्रतीत होता हैं। साथ ही खसरा संख्या 32 की जगह प्रार्थीगणों के जवाब से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण/अपीलांटगण की स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 में से रास्ता निकाले जाने पर अपीलांटगण को मुआवजे स्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई प्रतीत होती है। जिसकी पुष्टी प्रार्थीगणों के जबाव एवं पटवारी/गिरदावर मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 03.07.2021 से भी होती है। चुकि अपीलांटगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते दिये जाने पर कोई मुआवजा नही लिया था तथा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति भी नही की गई थी। साथ ही उक्त अपीलांट की वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ से रास्ते निकले हुए है। जब पूर्व से ही कई रास्ते है व साथ ही गोरव पथ भी है अन्य रास्ते की यहा क्या उपादेयता एवं उपयोगिता रहेगी, जब आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ते चालू है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है। एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय व अपूरक क्षति अपीलांटगण के पक्ष में पाई जाती हैं एवं जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो आदेश अपील न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 22/2021 बउनवान मदनपुरी बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 को अपास्त किया जाता है। एवं यह आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 32 की भूमि में रेस्पोडेन्ट किसी प्रकार की कोई दखलअंदाजी नहीं करें एवं न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें एवं मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)

राजस्व अपील अधिकारी, पाली

पाली

Scanned with CamScanner